न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 332/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– दौलाराम पुत्र नानकराम 2– पदमाराम पुत्र नानकराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम खबाणियां तहसील ओसिया जिला जोधपुर		1– कुम्भाराम पुत्र नानकराम जाट 2– श्रीमती फूलीदेवी पत्नी किशनाराम जाति जाट निवासी ग्राम सिल्ली तहसील ओसियां जिला जोधपुर 3– ग्राम पंचायत किंजरी तहसील ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–6–2016 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व अपील संख्या 19/2013 अनवान दौलाराम बनाम कुम्भाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चेतन राम जाखड अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 22–3–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खबाणियां की सरहद मे खसरा नंबर 112 रकबा 115 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 64 रकबा 50 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 82 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 82/1 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 83 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 84 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 60 रकबा 21 बीघा एवं खसरा नंबर 61 रकबा 50 बीघा 01 बिस्वा कुल रकबा 266 बीघा 07 बिस्वा भूमि अर्जुन, कुमाराम पिसरान बगताराम 1/2 हिस्सा तथा भोमाराम पुत्र गिरधारीराम 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का था ।

सह खातेदार भोमाराम के तीन पुत्र मूलाराम, नानकराम एवं विरमाराम थे तथा वे तीनो मृतक भोमाराम के उतराधिकारी थे परंतु सह खातेदार भोमाराम के देहांत होने पर उसके खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण संख्या 31 भोमाराम के स्थान पर अकेले मूलाराम पुत्र भोमाराम के पक्ष मे भरकर सरपंच ग्राम पंचायत किंजरी द्वारा दिनांक 29–8–65 को स्वीकृत कर दिया । उक्त नामांतरकरण संख्या 31 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी अपीलांटगण को बैंक से लोन लेने हेतु जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुई, तब उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अपीलांटगण ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2016 के द्वारा अपीलांट की अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज कर दिया जाने पर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि नामांतरकरण

संख्या 31 के द्वारा मूलाराम ने 1/2 हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने के बाद अर्जुनराम, पूनाराम से आपसी सहमति से नामांतरकरण संख्या 39 के जरिये बंटवाडा कर लिया तथा 132 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली तथा उसके पश्चात मूलाराम द्वारा बेचान करने पर अन्य नामांतरकरण संख्या 77, 96, 107 व 231 बेचान के आधार पर स्वीकृत हुए, जो तमाम विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उपरोक्त तमाम नामांतरकरणो की अलग–अलग अपीले अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनमे रेकर्ड तलबी एवं रेस्पो0 की तामिल मे पत्रावलियां चल रही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण एवं उनके अधिवक्ता को नोटिस दिये ही कोर्ट की पत्रावलियो को न्याय आपके द्वार अभियान केम्प अटल सेवा केन्द्र किंजरी मे दिनांक 13–6–2016 को ले जाकर उसी दिन अपील के बिना गुणावगुण पर विचार किये केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्व अभियानो मे केवल उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमे पक्षकारो की सहमति हो, परंतु वर्तमान प्रकरण मे गंभीर विवाद है जिसका निस्तारण लोक अदालत केम्प मे बिना पक्षकारो की सुनवाई के नही किया जाना था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान मामले मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 जो उतराधिकार के आधार पर स्वीकृत किया था तो खातेदार भोमाराम के देहांत के समय उसके मूलाराम, नानकराम एवं विरमाराम नामक तीन लडके मौजुद थे तो एक लडके के नाम म्युटेशन भरा जाकर स्वीकृत किया जो प्रथमदृष्टिया अवैद्य एवं शून्य होने से उसके पश्चातवर्ती सभी म्युटेशन प्रभाव शून्य होने से ऐसे आदेशो के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 को निरस्त कर मृतक खातेदार भोमाराम के सभी विधिक उतराधिकारियो के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पो0 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गाम पंचायत किंजरी द्वारा नामांतरकरण संख्या 31 दिनांक 29–8–65 को स्वीकार किया था । उक्त नामांतरकरण स्वीकृत होने के बाद अर्जुनराम वगैरा ने मूलाराम के विरूद्ध सहायक कलेक्टर फलोदी के न्यायालय मे बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमे वर्तमान अपीलांट पदमाराम पक्षकार था तथा उक्त वाद के निर्णय की पालना मे म्युटेशन संख्या 39 जो वर्ष 1971 मे स्वीकृत हुआ था अथार्त उक्त अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी अपीलांटगण को प्रांरभ से ही थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत कथन करते हुए 1965 मे स्वीकृत हुए म्युटेशन

के विरूद्ध वर्ष 2013 मे लगभग 48 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 स्वीकृति दिनांक 29–8–65 तथा अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 31 जो कि वर्ष 1965 मे फोतेदगी का स्वीकृत हुआ था उसके विरूद्ध लगभग 48 वर्ष के विलब से अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन अपील वर्ष 2013 मे स्व0 खातेदार भोमाराम के अन्य पुत्र नानकराम के पुत्रो ने की थी जिसमे विलंब का कोई ठोस कारण प्रकट नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है ।

प्रस्तुत अपील मे अपीलांट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि पत्रावली को केम्प कोर्ट मे ले जाने बाबत कोई सूचना रेकर्ड पर नही है, फिर भी पत्रावली मे पक्षकारो को सुने बिना ही मयाद के बिन्दु पर अपील को खारीज कर दिया, जो विधिसम्मत नही है ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 48 वर्षो के विलंब से अपील पेश होने से तथा विलंब को क्षमा करने बाबत कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने इतनी लंबी अवधि तक अपीलांट द्वारा कोई चाराजोही नही करना न्याय की दृष्टि से क्षम्य योग्य नही होना मानकर नियत तिथी पर पत्रावली को लोक अदालत/ केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र किंजरी मे ले जाकर अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज किया है, जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

अपील के गुणावगुण पर भी परीक्षण किया गया । प्रस्तुत अपील म्युटेशन संख्या 31 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, म्युटेशन संख्या 31 के अवलोकन से जाहिर है कि यह म्युटेशन खातेदार भोमाराम के फोतेदगी का भरा गया तथा उसके पुत्र मूला के नाम से स्वीकृत किया गया । अपीलांट द्वारा अपनी अपील मे यह उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा म्युटेशन की कार्यवाही पूर्ण रूप से गलत तरीके से करते हुए भोमाराम के अन्य वारिसान जो अपीलांट के पिता थे, के नाम म्युटेशन दर्ज नही किया जबकि उतराधिकार अधिनियम के तहत मूलाराम के साथ अन्य वारिसान के नाम भी नामांतरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये था ।

इस न्यायालय मे प्रस्तुत द्वितीय अपील मे अपीलांट द्वारा यह तथ्य सामने लाया गया है कि नामांतरकरण संख्या 31 स्वीकृत होने के पश्चात जरिये नामांतरकरण संख्या 39 जो बंटवाडा के आधार पर भरा गया था, अपने हिस्से की भूमि अपने नाम करवाने के पश्चात समय–समय पर बेचान कर दी तथा मूलाराम द्वारा किये गये बेचान के आधार पर अलग–अलग 3 म्युटेशन एवं मूलाराम के फौत होने पर विरासत का म्युटेशन संख्या 107 स्वीकृत हो चुके है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 31 के द्वारा जो भूमि मूलाराम के अधिकार मे आई थी, वह बेचान के माध्यम से अन्य केताओ के नाम दर्ज हुई तथा वर्तमान मे अपीलाधीन भूमि के अधिकार तृतीय पक्षकारो मे निहित है । ऐसी स्थिति मे अपीलांट जो कि मृतक भोमाराम के पौत्र है, उन्हे वर्तमान खातेदारो से अनुतोष/अधिकार लेने होंगे । सद्भाविक केता होने से नामांतरकरण की फिस्कल कार्यवाही के जरिये राजस्व रेकर्ड से केताओ के नाम हटाया जाना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है । अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मे यह तथ्य भी सामने आया है कि अपीलांट पदमाराम द्वारा एक नियमित वाद भी अधिकारो की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर रखा है । इस पृष्ठभूमि मे 48 वर्षो के विलंब के पश्चात विरासत के म्युटेशन के विरूद्ध प्रस्तुत अपील जिसमे विचाराधीन भूमि के स्वामित्व मे समय के साथ परिवर्तन आता रहा है, को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु पर खारीज किया जाना त्रुटिपूर्ण एवं अविधिक नही कहा जा सकता है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन म्युटेशन के संदर्भ मे मूलाराम के अतिरिक्त भोमाराम के अन्य प्रथम श्रेणी के उतराधिकारियो अथार्त भोमाराम के अन्य पुत्रो द्वारा अपने जीवनकाल मे अपीलाधीन म्युटेशन के संदर्भ मे कोई चाराजोही नही की गई और उनकी मृत्यु के पश्चात भोमाराम के पोत्रो द्वारा 48 वर्षो के बाद अपील किया जाने से मयाद बाहर अपील मानकर जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उसमे किसी प्रकार हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही होगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–6–2016 बहाल रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22–3–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर